संख्या- 58/XXII/2005-76(सूचना)2003

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
देहरादून।

सूचना अनुभाग : देहरादून : दिनांक 23 मार्च, 2005

विषयः—मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्रेस क्लब, चमोली (गोपेश्वर) की स्थापना हेतु रू0 9.30 लाख की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—363/सू0एवं0लो0सं0वि0(प्रेस)/2004—05, दिनांक 26—03—05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रेस क्लब, चमोली (गोपेश्वर) की स्थापना हेतु रू0 10.20 लाख के आगणन के सापेक्ष रू0 9.30 लाख (रू0 नौ लाख तीस हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 में इतनी ही धनराशि को आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि धनराशि के आहरण से पूर्व इस बात की पुष्टि करा ली जायेगी कि गोपेश्वर, चमोली में प्रेस क्लब का गठन हो गया है।

2—उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। मानदेय विषयक समस्त नियमों का अनुपालन करके ही मानदेय स्वीकृत किया जायेगा।

3—यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4—कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5—आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6—निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही उपयोग में लाया जाय।

7—कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

8—स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31—03—2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9—उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुदान संख्या—14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2220—सूचना तथा प्रचार—60—अन्य—आयोजनागत—103—प्रेस सूचना सेवाएं—03—उत्तरांचल में प्रेस क्लबों की स्थापना—24—बृहद् निर्माण कार्य की मद के नामें में डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1068/वित्त अनुभाग–3/2005, दिनांक 22 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– /XXII/2005–76(सूचना) 2003, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, चमोली।
4– जिला सूचना अधिकारी, चमोली।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– वित्त अनुभाग–3,
8– एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।